मन्जुदेवी बनाम भूराराम वगै.
मुकदमा नम्बर 035/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थीया :–

मन्जुदेवी पत्नि नेमीचन्द जाति जाट निवासी कालोली तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भूराराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी लालास तहसील कुचामन।
2. मोतीराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी लालास तहसील कुचामन।
3. गुमानाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी लालास हाल निवासी कालोली चावण्डिया तहसील कुचामन।
4. पटवारी पटवार हल्का लालास तहसील कुचामन।
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी।

प्रार्थना पत्र बाबत :– सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने
अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल.आर. एक्ट

उपस्थित :– श्री बजरंगलाल बिजारणियां अधिवक्ता प्रार्थीया

मुकदनां नम्बर :– 035/2023 निर्णय दिनांक :– 14.09.2023

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि राजस्व ग्राम लालास पटवार हल्का लालास तहसील कुचामन की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 1.98 हैक्टर किस्म जाव तृतीय सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीया के कब्जे काश्त शुदा खातेदारी की स्थित चली आ रही है जिसका प्रार्थीया निरंतर एवं निर्विवाद उपयोग उपभोग करती चली आ रही है एवं काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 12 के पश्चिमी तरफ लगती हुई खसरा नम्बर 10 रकबा 0.34 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। प्रार्थीया की खतोदारी की एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 1.98 हैक्टर भूमि आप्रार्थीगण की भूमि से सटी हुई होने से प्रार्थीया की भूमि के पडोसी खसरान की भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण 1 ता 3 जबरन लाठी व ताकत के बलबुते पर काविज होने की नियत से सीव नीव को नष्ट करने पर उतारू है तथा प्रार्थीया की भूमि की सीव को लेकर आये दिन अप्रार्थीगण 1 ता 3 झगडा करते रहते है एवं जबरन सीव को नष्ट कर रहे है जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थीया की कब्जे काश्त शुदा खातेदारी भूमि की सीव को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीया की कब्जे काश्त शुदा भूमि की सीमा पर पत्थरगढ़ी नहीं होने से अप्रार्थीगण की नियत खराब हो गया है तथा प्रार्थीया की उक्त भूमि को नष्ट करने पर आमदा हो गये है। इसलिए प्रार्थीया की कब्जा शुदा खातेदारी भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:01:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। राजस्व ग्राम लालास पटवार हल्का लालास तहसील कुचामन की सरहद में स्थित प्रार्थीया की कब्जा शुदा खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 1.98 हैक्टर भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामन को आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5, 6 का तामील शुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीया ने अपनी कब्जा शुदा खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम लालास पटवार हल्का लालास तहसील कुचामन की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 1.98 हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहती हैं। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस के अवलोकन से प्रार्थीया की भूमि की विधिवत अलग तरमीम हो रखी है तथा अलग से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि होना पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम लालास पटवार हल्का लालास तहसील कुचामन की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 1.98 हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार पत्थरगढ़ी करने हेतु नायब तहसीलदार चितावा तहसील कुचामन सिटी को आदेश दिये जाते हैं। इस बाबत नायब तहसीलदार चितावा तहसील कुचामन सिटी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं इनके सहायतार्थ भू.अ. निरीक्षक घाटवा एवं पटवारी हल्का लालास व टोडास की राजस्व टीम का गठन किया जाता है। नियमानुसार प्रार्थीया द्वारा नायब तहसीलदार चितावा को मौके पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने हेतु आवश्यक साज–सामान उपलब्ध कराने एवं नायब तहसीलदार चितावा व राजस्व टीम को मौका कमिश्नर फीस, नायब तहसीलदार चितावा को 1000/– व भू.अ. निरीक्षक घाटवा को 700/– एवं पटवारी हल्का लालास व टोडास को 500–500/– रूपये अदा करने पर भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायी जावे। नायब तहसीलदार चितावा को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2022 को सरे न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:01:18 IST
Reason: SelfAttested

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं,
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)